



क्रमांक-प.19(1)()निमअ/साथिन प्रशिक्षण/2019/28606-63 जयपुर, दिनांक-01/12/2020

उपनिदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,
जिला- समस्त।

विषय:-नव चयनित साथिनों का आधारभूत कार्य प्रशिक्षण करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कॉविड-19 के मध्यनजर नव चयनित साथिनों का आधारभूत एक दिवसीय कार्य प्रशिक्षण संलग्न प्रशिक्षण शिड्यूल अनुसार आप द्वारा सुपरवाइजर, म.अ. के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर करावें ताकि नव चयनित साथिनों को विभाग की गतिविधियों/ कार्यक्रमों/ योजनाओं की प्रभावी जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर किसी प्रकार का व्यय नहीं होगा।

उक्त आधारभूत कार्य प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात नव चयनित साथिनों को कार्यादेश जारी कर, अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

आधारभूत कार्य प्रशिक्षण में कॉविड-19 के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करें।
संलग्न:- प्रशिक्षण शिड्यूल।


आयुक्त

महिला अधिकारिता

क्रमांक-प.19(1)()निमअ/साथिन प्रशिक्षण/2019/28639-708 जयपुर, दिनांक-01/12/2020
प्रतिलिपी : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
5. प्रोग्रामर, म.अ. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।


आयुक्त

महिला अधिकारिता

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राज.)
☎: 0141-2716411
✉: sathincell.we@rajasthan.gov.in

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दिवसीय आधारभूत साथिन कार्य प्रशिक्षण

समय	विषय	विषय-वस्तु
प्रातः 10.00 से 01.30 बजे तक	परिचय सत्र महिला सशक्तिकरण से संबंधित आर्थिक मुद्दों पर चर्चा	अभिप्रेरणा : विभाग एवं प्रशिक्षण के विषय में नवीन जानकारी प्रशिक्षण का शुभारम्भ <ul style="list-style-type: none"> ● सामाजिक लोक व्यवहार की समझ बनाना व समूह में चर्चा का अभ्यास ● विभागीय/अन्तर्विभागीय पर्यवेक्षण ढांचा ● इंदिरा महिला शक्ति की योजनाएँ – <ol style="list-style-type: none"> 1. उद्यम प्रोत्साहन 2. शिक्षा सेतु 3. कौशल सामर्थ योजना में साथिन की भूमिका ● बाल विवाह रोकथाम, बाल विवाह निषेध अधिनियम ● ग्राम पंचायत स्तर पर ICDS की कार्यप्रणाली
अपरान्ह 01.30 से 02.00 बजे तक	मध्यान्तर	
अपरान्ह 02.00 से 04.00 बजे तक	महिलाओं/बालिकाओं के सशक्तिकरण की योजनाएँ : महिला सशक्तिकरण से संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चर्चा महिला सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा	<ul style="list-style-type: none"> ● बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर चर्चा ● किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) के क्रियान्वयन में समझ बनाना ● महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र ● वन स्टॉप सेन्टर/सखी केन्द्र ● जिला महिला सहायता समिति ● महिला हैल्पलाईन
समापन		

नोट :- साथिन एक दिवसीय आधारभूत कार्य प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार के व्यय हेतु बजट देय नहीं होगा।